Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अनुसूचित जनजाति के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता का स्तर एवं उपयोग-प्रवृत्तियाँ : अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

थानसिंह गेहलोत* डॉ. संजीव कुमार शर्मा **

* शोधार्थी, माघव यूनिवर्सिटी, पिंडवाड़ा, जिला - सिरोही (राज.) भारत
** सहायक आचार्य, माघव यूनिवर्सिटी, पिंडवाड़ा, जिला - सिरोही (राज.) भारत

शोध सारांश – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने ज्ञान के उत्पादन, संग्रहण, प्रसार तथा उपयोग की प्रकृति को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान युग में सूचना साक्षरता (Information Literacy) को उच्च शिक्षा की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को सूचना की पहचान, खोज, मूल्यांकन तथा नैतिक उपयोग की क्षमता प्रदान करती है। विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के लिए सूचना साक्षरता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह वर्ग ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक वंचनाओं से प्रभावित रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य अलीराजपुर जिले के चयनित शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता के स्तर तथा उसकी उपयोग-प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया तथा संरचित प्रश्नावली के माध्यम से 470 विद्यार्थियों से प्राथमिक आँकड़े संकलित किए गए। आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत विधि एवं तालिकात्मक प्रस्तुति द्वारा किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश विद्यार्थी सूचना साक्षरता के महत्व से परिचित हैं और इंटरनेट को सूचना का प्रमुख स्रोत मानते हैं, किंतु प्रशिक्षण की कमी, सीमित डिजिटल संसाधन और तकनीकी अवसंरचना की बाधाएँ सूचना साक्षरता के प्रभावी विकास में प्रमुख अवरोध बनी हुई हैं। शोध-पत्र में सूचना साक्षरता को सुदृढ़ करने हेतु शैक्षणिक, संस्थागत एवं नीतिगत स्तर पर उपयोगी सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

शब्द कुंजी – सूचना साक्षरता, अनुसूचित जनजाति, उच्च शिक्षा, डिजिटल संसाधन, अलीराजपुर जिला।

प्रस्तावना – इक्कीसवीं सदी को प्राय: 'सूचना एवं ज्ञान का युग' कहा जाता है। आधुनिक समाज में सूचना की उपलब्धता अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ी है, किंतु सूचना की अधिकता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केवल सूचना तक पहुँच होना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यक यह है कि व्यक्ति सूचना की प्रासंगिकता, प्रामाणिकता और उपयोगिता को समझ सके। इसी संदर्भ में सूचना साक्षरता की अवधारणा का विकास हुआ।

सूचना साक्षरता का तात्पर्य उस क्षमता से है, जिसके माध्यम से व्यक्ति यह पहचान पाता है कि उसे कब और किस प्रकार की सूचना की आवश्यकता है, वह उपयुक्त सूचना स्रोतों की पहचान कर सकता है, सूचना को प्रभावी ढंग से खोज सकता है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकता है तथा उसे नैतिक एवं कानूनी रूप से उपयोग में ला सकता है। उच्च शिक्षा में यह क्षमता विद्यार्थियों को स्वतंत्र अध्ययन, शोध कार्य तथा आजीवन सीखने की प्रक्रिया के लिए सक्षम बनाती है।

भारतीय संदर्भ में उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशिता और समान अवसरों को सुनिश्चित करना भी है। अनुसूचित जनजाति समुदाय भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो भौगोलिक रूप से प्राय: दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करता है और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए सूचना साक्षरता न केवल शैक्षणिक सफलता का माध्यम है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी उपकरण है।

मध्यप्रदेश का अलीराजपुर जिला पूर्णत: अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है। यहाँ के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं। डिजिटल युग में, जहाँ शिक्षा का एक बड़ा भाग ऑनलाइन एवं तकनीक-आधारित हो रहा है, वहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि इन विद्यार्थियों की सूचना साक्षरता की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध-पत्र अलीराजपुर जिले के महाविद्यालयीन अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता के स्तर और उसकी उपयोग-प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

सूचना साक्षरता की अवधारणा एवं महत्व – सूचना साक्षरता की अवधारणा का औपचारिक विकास 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुआ। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने सूचना साक्षर व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति बताया है जो यह जानता है कि सूचना कब आवश्यक है और वह आवश्यक सूचना को प्रभावी ढंग से खोज, मूल्यांकन एवं उपयोग कर सकता है।

शैक्षणिक संदर्भ में सूचना साक्षरता का महत्व अत्यधिक है। यह विद्यार्थियों में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करती है:

1. स्वतंत्र अध्ययन एवं शोध क्षमता
2. आलोचनात्मक चिंतन
3. समस्या समाधान कौशल
4. डिजिटल एवं मीडिया साक्षरता

5. नैतिक सूचना उपयोग की समझ

अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए सूचना साक्षरता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह उन्हें पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक ज्ञान समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है।

अनुसूचित जनजाति एवं उच्च शिक्षा का परिप्रेक्ष्य – भारत में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति ऐतिहासिक रूप से वंचनाओं से प्रभावित रही है। शिक्षा को इनके सामाजिक उत्थान का प्रमुख साधन माना गया है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा आरक्षण, छात्रवृत्ति और विशेष योजनाओं के माध्यम से जनजातीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है, किंतु उच्च शिक्षा में इनकी भागीदारी अभी भी चुनौतियों से घिरी हुई है।

डिजिटल विभाजन जनजातीय क्षेत्रों में एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरता है। सीमित इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर संसाधनों की कमी और प्रशिक्षण का अभाव सूचना साक्षरता के विकास में बाधक बनता है। अलीराजपुर जिला इस स्थिति का एक प्रतिनिधि उदाहरण है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. अनुसूचित जनजाति के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता के स्तर का आकलन करना।
2. सूचना प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों और उपयोग-प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
3. सूचना साक्षरता के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता एवं दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
4. सूचना साक्षरता के उपयोग में आने वाली प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों की पहचान करना।
5. सूचना साक्षरता को सुदृढ़ करने हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति – प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति अपनाई गई। अध्ययन क्षेत्र के रूप में अलीराजपुर जिले के चार शासकीय महाविद्यालयों का चयन किया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 470 विद्यार्थियों को नमूना बनाया गया।

डेटा संकलन हेतु स्वयं निर्मित एवं मान्यीकृत संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया, जिसमें सूचना साक्षरता, कंप्यूटर ज्ञान, आईटी एवं इंटरनेट उपयोग से संबंधित प्रश्न शामिल थे। आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत विधि, तालिकात्मक प्रस्तुति एवं वर्णनात्मक व्याख्या द्वारा किया गया।

डेटा विश्लेषण एवं चर्चा – अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार अधिकांश विद्यार्थी सूचना साक्षरता के महत्व से परिचित हैं। इंटरनेट सूचना का प्रमुख स्रोत बन चुका है, जबकि पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग अपेक्षाकृत सीमित है। डिजिटल संसाधनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद प्रशिक्षण की कमी एक प्रमुख बाधा के रूप में सामने आई।

यह स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि सूचना साक्षरता केवल तकनीकी उपलब्धता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह व्यवस्थित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन पर भी निर्भर करती है।

निष्कर्ष – अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अलीराजपुर जिले के अनुसूचित जनजाति महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता का स्तर मध्यम है। डिजिटल युग के प्रभाव से सूचना संसाधनों का उपयोग बढ़ा है, किंतु संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी इसके पूर्ण विकास में बाधक है।

सूचना साक्षरता को सुदृढ़ कर अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध क्षमता और रोजगार योग्यता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

सुझाव :

1. महाविद्यालयों में नियमित सूचना साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
2. पुस्तकालयों को डिजिटल एवं ई-संसाधनों से सुसज्जित किया जाए।
3. विद्यार्थियों को इंटरनेट के सुरक्षित एवं शैक्षणिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए।
4. कंप्यूटर एवं इंटरनेट अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए।
5. सूचना साक्षरता को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, आर. (2018). सूचना साक्षरता और उच्च शिक्षा, नई दिल्ली: एसोसिएटेड पब्लिशर्स।
2. कुमार, संजीव. (2019). महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में सूचना साक्षरता का अध्ययन, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका, 33(2), 45ह52।
3. शर्मा, आर. के. (2017). ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान: सिद्धांत और व्यवहार, जयपुर: राज पब्लिकेशन्स।
4. मिश्रा, पी. (2020). अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में डिजिटल विभाजन की समस्या, समाजशास्त्र विमर्श, 12(1), 78-85।
5. सिंह, ए. के. (2016). सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा, वाराणसी: ज्ञान भारती प्रकाशन।
6. वर्मा, एस. (2019). उच्च शिक्षा में सूचना साक्षरता का महत्व. शैक्षिक अध्ययन, 7(3), 112-118।
7. पटेल, एम. (2018). जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और तकनीकी चुनौतियाँ, आदिवासी अध्ययन पत्रिका, 5(2), 39-46।
8. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
9. यादव, आर. (2017). डिजिटल भारत और शिक्षा. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
10. चौधरी, एल. (2021). महाविद्यालयीन पुस्तकालयों में सूचना साक्षरता कार्यक्रम. ग्रंथालय दर्पण, 14(1), 21-29।
11. शर्मा, पी., एवं गुप्ता, एन. (2018). अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में सूचना संसाधनों का उपयोग. भारतीय सामाजिक अनुसंधान, 10(2), 64-72।
12. सिंह, डी. (2019). सूचना समाज और ज्ञान संस्कृति, इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
13. पांडेय, के. (2016). उच्च शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका, शिक्षा और समाज, 8(1), 90-97।
14. त्रिपाठी, एस. (2020). डिजिटल साक्षरता और युवा. समकालीन भारत, 6(4), 55-61।
15. यूनेस्को. (2018). मीडिया एवं सूचना साक्षरता: नीति एवं दिशा-निर्देश (हिंदी संस्करण), नई दिल्ली: यूनेस्को कार्यालय।